Assistance to Sanskrit Organisations

+

*1389. **Shri A. B. Vajpayee:**
Shri N. S. Sharma:
Shri Shri Gopal Saboo:
Shri Sharda Nand:
Shri Brij Bhushan Lal:
Shri Yajna Datt Sharma:
Shri R. S. Vidyarthi:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have invited applications from voluntary Sanskrit Organisations and institutions for offer of financial assistance; and

(b) if so, the number of such applications received and the total assistance offered to them by Government and other steps taken for making Sanskrit more popular during 1965-66 and 1966-67?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) क्रमश: 240 और 260 प्रार्थना पत्र मिले 1965–66 में और 1966–67 में। 1965–66 में 7 लाख 77 हजार रुपये संस्थाओं को दिये गये और 1966–67 में 8 लाख 67 हजार रुपये दिये गये। इसमें संस्कृत के गुरुकुल भी आ जाते हैं। इसके अलावा और जो योजनायें हैं व्यक्तियों को, संस्थाओं को, राज्य सरकारों को मदद देनी की संस्कृत की शिक्षा के प्रसार, प्रचार के लिए, उसके लिए 1965–66 में 15 लाख 19 हजार रुपये खर्च हुए, 1966–67 में 15 लाख 47 हजार रुपये खर्च हुए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि जो धन दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं ने आवेदन दिये उन संस्थाओं ने कितने धन की मांग की थी और उसमें से कितने प्रतिशत केन्द्रीय सरकार पूरा कर सकी ?

श्री शेर सिंह : इतनी डिटेल में इनफार्मेशन मेरे पास नहीं है। एक एक संस्था के लिए कि कितनी कितनी उसने मांग की थी और कितनी राशि उनको मिली है, यह इनफार्मेशन तो मेरे पास नहीं है। इसको इस वक्त देना तो कठिन है लेकिन मैंने जो टोटल है वह आपको बता दिया है कि 1965-66 में कितना दिया और 1966-67 में कितना दिया। इस वर्ष के लिए भी आप जानना चाहें तो वह भी मैं बता सकता हूं। 1967–68 में हम 35 लाख 22 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। अगली योजना का भी बता सकता हूं। लेकिन संस्थायें बहुत हैं और सभी संस्थाओं में से हर एक ने कितना मांगा यह बतलाना कठिन है। पूरा का पूरा देना भी कठिन है . . . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कितना मांगा है।

श्री शेर सिंह : लेकिन जितना हम दे सकते हैं, देते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : : प्रश्न यह है कि संस्थाओं ने कितना मांगा और उसमें से सरकार कितना दे सकी। यदि मंत्री महोदय के पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो वह आश्वासन दें कि वह इस सूचना को सदन के मेज पर रख देंगे ताकि सदन यह देख सके कि मांग कितनी थी और उस में से कितना दिया गया ?

श्री शेर सिंह : अभी तो नोटिस चाहिये लेकिन सदन के पटल पर इस इनफार्मेशन को रख दिया जाएगा।

श्री मधु लिमये : फिर नोटिस किस लिये ?

श्री झारबानन्द : उत्तर प्रदेश से कितने प्रार्थना पत्र इस प्रकार के आए हैं जिन्होंने संस्कृत के लिए अनुदान मांगा है ?

श्री शेर सिंह : राज्य के ढंग से हम नहीं करते हैं। जितनी संस्थायें हैं वे सभी किसी किसी न किसी राज्य में हैं। सभी संस्थाओं को जो मांगती हैं देने की कोशिश करते हैं। अगर आप अलग से चाहें कि उत्तर प्रदेश से कितनी संस्थाओं ने प्रार्थना पत्र दिये तो उसके लिए अलग से मालूम कर आप को बता दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए समय चाहिये।

हैदराबाद के निजाम की उपाधियां

*1390. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय निजाम हैदराबाद के पोते को निजाम की गद्दी का उत्तराधिकारी मान लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वर्गीय निजाम के वर्तमान उत्तराधिकारी को अपने नाम के साथ कुछ उपाधियां लगाने का भी अधिकार है ;

(ग) क्या वर्तमान निजाम को अपने नाम के साथ कुछ ऐसी उपाधियां लगाने का भी अधिकार है जो ब्रिटिश सरकार ने स्वर्गीय निजाम को दी थीं ; और

(घ) यदि हां, तो यह कहां तक संविधान के अनुकूल है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) . भारत के गवर्नर जनरल और निजाम के बीच 25 जनवरी, 1950 को जो समझौता हुआ था उसकी धारा 3 के अधीन निजाम को अपने नाम के साथ उन उपाधियों को लगाने का अधिकार था जिन्हें वे वह 15 अगस्त, 1947 के ऐन पहले तक लगाते थे, और धारा 5 के अधीन भारत सरकार ने उत्तराधिकार (विधि तथा रीति के अनुसार) उपाधियों के बारे में भी स्वीकार करने की सुरक्षा दी थी।

(घ) हमारे परामर्शदाताओं के अनुसार यह बात संविधान के प्रतिकूल नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : स्वतंत्रता-प्राप्ति के बीस वर्ष बाद भी किसी भारतीय राजा को अंग्रेजों की दी हुई उपाधि अपने नाम के साथ लगाने का अधिकार देना भारतीय स्वतंत्रता के गौरव के प्रतिकल है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के समझौते के सम्बन्ध में कभी संसद् या संविधान सभा को भी विश्वास में लिया गया है कि भारतीय राजा स्वतंत्रता-प्राप्ति के बीस वर्ष बाद भी अंग्रेजों के समय की उपाधि लगा सकेंगे और भारत सरकार उनको स्वीकार करेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब से भारत गणराज्य हुआ है तब से अंग्रजों की दी हुई उपाधि या टाइटिल को व्यक्तियों के नाम के आगे या पीछ लगाने की मुमानियत कर दी गई है। परन्तु जिन पुराने रूलर्ज को काबिनेन्ट में यह अधिकार दिया गया था कि वे ये टाइटल काम में ला सकते हैं उन के विषय में अपवाद किया गया था और बाकी जगह कहीं भी अंग्रेजों के टाइटल्ज को काम में लाने का अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जब वर्तमान निजाम के प्रिवी-पर्स में उनके जेब खर्च में काफी कमी कर दी गई है, तब तत्कालीन निजाम को अंग्रेजों की दी हुई उपाधियों को वर्तमान निजाम द्वारा लगाये जाने के अधिकार को समाप्त करने में क्या बाधा है ? मंत्री महोदय ने जिस समझौते का जिक्र किया है, वह पुराने निजाम के साथ